

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प) कैम्प.....स.त.प.०५।

—:आदेश:—

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 27.7.2024 व भू.अ.नि. स.त.प.०५। की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....7N2P तहसील.....रायसिंहनगर.....व जिला.....की जमावन्दी सम्वत्.....2074 में खाता संख्या.....26.....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अन्तर्दखल के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	7N2P	26	कुनाराम, धराराम, सत्याम पिन. कुनाराम हत्येकहिस्सा 1/3 राहिन 5B 3J शाखा रायसिंहनगर	कुनाराम, धराराम, सत्याम पिन. कुनाराम हत्येक हिस्सा 1/3 राहिन 5B 3J शाखा रायसिंहनगर

राजस्थान सरकार
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक :- 16/12/2025

कमेंट :- 422 ता 424

प्रतिक्रिया :-

1. तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अन्तर्दखल के आदेश को पालन रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.....कुनाराम की केशवनाथ वरुण को सूचनार्थ।
3. अक्षय पटवारी।

राजस्थान सरकार
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

